ग्राम पंचायत मैहरी काथला, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016 क
भाग–एक

1 प्रस्तावना (क):–

ग्यारहवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मैहरी काथला, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान

क्र•	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति उर्मिला कौशल	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्रीमति कान्ता देवी	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव

क्र•	**नाम**	**अवधि**
1	श्री भोला दत्त	01.04.2016 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत मैहरी काथला, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र•	**पैरा सं•**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्त शेष में अन्तर	0.23
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	1.51
4	9.1	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.48
5	9.2	मोबाइल टॉवर से राजस्व वसूली में विफलता	––
6	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	14.64

7	11	संसदीय क्षेत्र विकास निधि के अनुदान की राशि को बिना उपयोग वापिस करना	0.75
8	14.1	संदिग्ध व्यय	1.98
9	15	निविदाओं के बिना किया गया अनियमित	0.79
10	16	मस्ट्रौल पर अधिक दर से दिहाड़ी का भुगतान करके किया गया अनुचित व्यय	0.02
11	17	किराए पर लिए गए गोदाम के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया अनियमित व्यय	0.17

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मैहरी काथला, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14/09/2016 से 19/09/2016 तक ग्राम पंचायत मैहरी काथला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 05/2013, 09/2014, 03/2016 व 03/2014, 01/2014, 03/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत मैहरी काथला, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–191 दिनांक 19/09/2016 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 स्व स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	302710	0	302710	0	302710
2014–15	302710	61834	364544	54451	310093
2015–16	310093	52904	362997	55503	307494

4.2 अनुदानः–

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1392277	1520558	2912835	1806709	1106126
2014–15	1106126	2175982	3282108	1636364	1645744
2015–16	1645744	2449911	4095655	2631843	1463812

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹0.23 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेश में ₹22,815/– का अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में है।

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–	
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क'–पैरा 4(1)	307494
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख'–पैरा 4(2)	1463812
	कुल योग (क)	**1771306**

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	बैंक	खाता	
1	खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	1103	297754
2	खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	1114	553040
3	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	1498	0
4	हरियाली–अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	1160	4092
5	हरियाली–लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	1161	132498
6	अटल/राजीव आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	4357	530
7	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	4358	2984
8	13वां वित्तायोग (अनुदान)	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	4359	189133
9	13वां वित्तायोग (बी डी सी)	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	2666	101914
10	संसदीय क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	4360	236994
11	निर्मल/स्वच्छ भारत अभियान	हि•प्र•रा•स• बैंक बम	5750	229304
12	खाता 'क' व 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेष			248
			कुल योग (ख)	**1748491**
			रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेश में अन्तर (क–ख)	**22815**

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की नमूना जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैंः–

6.1(क) नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में ग्यारह अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन ग्यारह रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1(ख) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारेः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियां पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1(ग) लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग ग्यारह रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है।

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹1.51 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,50,623/– खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
1114	4050	13326	10683	10392	3057	7505	49013
1498	2018	1402	430	252	0	0	4102
1160	9315	9078	6474	6172	4195	768	36002
1161	1720	1929	2171	2202	2389	2594	13005
4357	241	6	6	11	105	91	460
4358	307	1310	278	501	57	80	2533
4359	0	0	1321	1635	2324	4275	9555
2666	2	2	2	1531	3475	562	5574
4360	1531	1167	1287	2957	2436	4018	13396

5750	0	0	0	1232	7560	8191	16983
कुल योग	**19184**	**28220**	**22652**	**26885**	**25598**	**28084**	**150623**

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशाील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

7.1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश

रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविश्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 राजस्व वसूली बारेः–

9.1 पंचायत राजस्व 0.48 लाख का वसूली हेतु शेषः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मैहरी काथला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹48,250/– की वसूली शेष थी।

गृहकरः–पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2013–14 में 756, 2014–15 में 765 तथा 2015–16 में 794 परिवारों के लिए ₹50/– प्रति परिवार की दर से

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	0.00	37800.00	37800.00	34400.00	3400.00
2014–15	3400.00	38250.00	41650.00	33100.00	8550.00
2015–16	8550.00	39700.00	48250.00	0.00	48250.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9.2 मोबाइल टॉवर से राजस्व वसूली में विफलताः–

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत भारत संचार निगम लि• कम्पनी का मोबाइल टॉवर स्थापित है। परन्तु इस टॉवर के सन्दर्भ में अभी तक कम्पनी से राजस्व की कोई वसूली नहीं की गई है। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए सुझाव दिया जाता है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर कम्पनी

के साथ उठाते हुए शीघ्रातिशीघ्र अब तक देय राजस्व की वसूली पंचायत निधि में करवाना सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में प्रतिवर्ष इसका वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान ₹14.64 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹14,63,812/– उपयोग हेतु शेश थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 संसदीय क्षेत्र विकास निधि के अनुदान की ₹0.75 लाख को बिना उपयोग वापिस करने बारेः–

संसदीय क्षेत्र विकास निधि की रोकड़ बही की जाच में पाया गया कि पृष्ठ 02 पर दिनांक 13.03.2014 को निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि में से ₹75,000/– को बिना उपयोग करे ही खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवीं को चैक संख्या 473101 द्वारा लौटा दिया गया है। इस अनुदान को वापिस किए जाने के सन्दर्भ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने वाला न तो अन्य कोई पत्राचार/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की प्राप्ति रसीद ही प्रस्तुत की गई है। अतः अनुदान की इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट करना सुनिश्चित किया जाए।

12 आय का रोकड़ बही में पूर्ण व उचित तरीके से लेखांकन न करनाः–

हरियाली परियोजना की रोकड़ बही तथा हि• प्र• रा• स• बैंक की बम शाखा के खाता संख्या 12710101161 (लाभार्थी अंशदान खाता) की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 02/04/2013 को ₹2755/– लाभार्थी अंशदान के रूप में बैंक में जमा करवाई गई थी। परन्तु इस जमा की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई है। हालांकि रोकड़ बही को उस दिन के लिए बन्द करते समय अन्तशेश को बैंक के साथ मिलाने के लिए ₹83028/– से बढ़ाकर

₹85783/– कर दिया गया है। परन्तु जमाकर्ताओं का विवरण न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह अंशदान किन लाभार्थियों द्वारा जमा करवाया गया है तथा न ही इस अंशदान की राशि की गणना की सत्यता की पुष्टि की जा सकी है। इस अधूरे अभिलेख के कारण समस्त लेखांकन प्रक्रिया संदेह के दायरे में आ जाती है। अतः इस प्रकरण के बारे में तथ्यपूरक तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 आय व अनुदान का रोकड़ बही में देरी से लेखांकनः–

पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि स्वयं संसाधनों की आय तथा अधिकतर अनुदानों को जो कि विभाग द्वारा सीधे पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाए गए हैं का रोकड़ बही में लेखांकन काफी देरी से किया गया है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 तथा 7 के प्रावधानों के अनुसार चैक से प्राप्त आय के अतिरिक्त आय की प्रत्येक मद का इन्द्राज़ उसी दिन रोकड़ बही में किया जाना आवश्यक है जिस दिन वह प्राप्त हुई है तथा चैक से प्राप्त आय का इन्द्राज़ रोकड़ बही में उस दिन किया जाएगा जिस दिन उसे भुना कर बैंक खाते में जमा किया गया हो। परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला में इन नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा आय व अनुदानों का लेखांकन रोकड़ बही में प्राप्ति की दिनांक के कई कई दिनों बाद किया जाता है। यह एक अनुचित कार्यप्रणाली है जिसका मुख्य कारण प्रत्येक माह पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी बना कर बैंक खातों के साथ रोकड़ बही के अन्त शेष का मिलान न किया जाना है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ऐसे कुछ प्रकरण जिनमें आय अथवा अनुदान का लेखांकन देरी से किया गया है तथा जो चयनित मासों के लिए नमूना जांच में सामने आए हैं का संकलित विवरण उदाहरण हेतु निम्न तालिका में दिया जा रहा हैः–

क्र	अनुदान	राशि (रु)	बैंक में जमा की दिनांक	रो.ब. पृष्ठ	रो. ब. जमा दिनांक
1	रसीद संख्या 12083, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 12123, 24 तथा 25 जिन्हें दिनांक 10/5/13 से 27/5/13 तक के दौरान काटा गया है		––	174	30.9.14
2	खाता 'क' की आय जिसके लिए रसीद संख्या 14423 से 435 की तेरह रसीदें बिना दिनांक के काटी गई हैं की आय का लेखांकन रोकड़ बही में 10.3.16 को किया गया है	2299	––	22	10.3.16
3	तीसरा राज्य वित्तायोग अनुदान	1142	29.5.14	115	23.9.14
4	13वां वित्तायोग अनुदान	26347	13.6.14	115	23.9.14

5	तीसरा राज्य वित्तायोग अनुदान	9600	25.7.14	115	23.9.14
6	तीसरा राज्य वित्तायोग अनुदान	11100	25.7.14	115	23.9.14
7	बी डी सी से प्राप्त अनुदान	150835	11.8.14	115	23.9.14
8	13वां वित्तायोग अनुदान	26347	25.8.14	115	23.9.14
9	जिला परिशद से प्राप्त अनुदान	90000	16.12.15	138	7.3.16
10	14वां वित्तायोग अनुदान	394494	28.1.16	138	7.3.16
11	सांसद क्षेत्र विकास निधि (तीन किश्तें 60000+47000+37000 निधि की रोकड़ बही में)	144000	16.12.15	11	31.3.16

14 बिना बिल वाउचरों के सामग्री की खरीद करनाः–

14.1 बिना बिलों के किया गया ₹1.98 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹1,98,393/– के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट '2'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए /हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर ही भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14.2 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत उप पैरा 14.1 में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की नमूना जांच से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट तथा सरिया के अतिरिक्त खरीदी जाने वाली समस्त निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है।

आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.79 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹79,491/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	दिनांक	रो. ब. पृश्ठ	विवरण	राशि (रु)
	खाता 'क' सामान्य निधिः			
1	11.1.15	21	लेखन सामग्री	3628
2	31.3.16	24	ग्रामसभा हेतु चायपान	3550
3	31.3.16	24	लेखन सामग्री	3250
	खाता 'ख' सामान्य निधिः			
4	28.9.13	89	दीवार के पंखे	6110
5	6.2.14	101	दरवाजों के लिए लकड़ी	3300
6	7.3.16	138	सीमेन्ट ढुलाई	5375
	हरियाली			
7	29.3.14	46	रेत व बजरी	10984
8	29.3.14	46	षटरिंग	6580
9	29.3.14	46	सरिया	20460
	स्वच्छ/निर्मल भारत अभियान			
1	7.3.16	7	रेत व बजरी	6600
	मनरेगाः–			
1	22.3.14	129	रेत व बजरी	9654
			कुल योगः	**79491**

उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000/– से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया

गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 मस्ट्रौल पर अधिक दर से दिहाड़ी का भुगतान करके किया गया ₹1992/– का अनुचित व्ययः–

खाता 'ख' की रोकड़ बही की चयनित मासों के लिए नमूना जांच में पाया गया कि एक ही अवधि 01/02/2014 से 28/02/2014 तक के लिए मुख्यमन्त्री ग्रामपथ योजना के अन्तर्गत किए जा रहे अलग–अलग कार्यों के निश्पादन हेतु दो अलग अलग मस्ट्रौल क्रमांक 38 व 39 जारी किए गए थे। मस्ट्रौल 38 में 85 कार्यदिवसों के लिए ₹138/– प्रतिदिन की दिहाड़ी की दर से ₹11730/– का तथा मस्ट्रौल 39 में 166 कार्यदिवसों के लिए ₹150/– प्रतिदिन की दिहाड़ी की दर से ₹24900/– का भुगतान खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 105 पर दिनांक 24/03/2014 को किया गया है। इस प्रकार एक ही अवधि के दो मस्ट्रौलों में अलग अलग दर से भुगतान करके मस्ट्रौल 39 में 166 कार्यदिवसों के लिए ₹12/– प्रतिदिन की दर से अधिक दिहाड़ी का भुगतान करके कुल ₹1992/– का अनुचित व अधिक व्यय किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण अभिलेख सहित उचित स्पष्टीकरण के साथ इस अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 किराए पर लिए गए गोदाम के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया ₹0.17 लाख से अधिक का अनियमित व्ययः–

ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमति विद्या देवी से गांव काथला में सीमेन्ट भण्डारण के लिए गोदाम के रूप में उपयोग हेतु कमरा किराए पर लिया गया है। इसके किराए के रूप में माह 03/2014 तक ₹400/– प्रतिमाह तथा उसके उपरान्त ₹500/– प्रतिमाह की दर से अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों 04/2013 से 03/2016 तक में कुल ₹16800/– का अनियमित भुगतान किया गया है। यह कमरा कब से किराए पर लिया गया था का विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं था तथा इस भुगतान का संकलित विवरण माह 08/2013 के बाद से ही तैयार किया गया है जिस कारण इस मद पर अब तक किए गए कुल अनियमित व्यय की गणना नहीं की जा सकी है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में किसी सरकारी विभाग द्वारा निजी सम्पत्ति को किराए पर लिए जाने के लिए प्रावधित नियमों के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति को किराए

पर लेने से पूर्व अथवा किराया वृद्धि हेतु इसके किराए का मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से करवाना आवश्यक है। परन्तु इस प्रकरण में पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है तथा इस गोदाम के किराए का मूल्यांकन न तो कमरा किराए पर लेते वक्त करवाया गया है और न ही माह 04/2014 से किराया वृद्धि के वक्त करवाया गया है। इस कारण से इस गोदाम को किराए पर लिए जाने से अब तक किराए के रूप में किया गया समस्त भुगतान अनियमित व अनुचित है। अतः गोदाम किराए का मूल्यांकन नियमानुसार लोक निर्माण विभाग से न करवाने के कारणों को स्पश्ट करते हुए इस अनियमितता को अब लोक निर्माण विभाग से इसका मूल्यांकन नियमानुसार सुनिश्चित करने के अतिरिक्त इस व्यय को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षणावधि के दौरान किराए के रूप में किया गया भुगतानः–

क्र	अवधि	माह	दर प्रतिमाह (₹)	कुल भुगतान (₹)
1	04/13 से 03/14	12	400	4800
2	04/14 से 03/16	24	500	12000
	कुल योग			**16800**

18 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस लापरवाही तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

19 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा अधिकतर बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई

कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 एकाधिक रसीद बुकों का एक साथ अनुचित प्रयोगः–

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एक साथ बाईस रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	मद
1	12001–12100	सामान्य निधि
2	12101–12200	सामान्य निधि
3	12801–12900	सामान्य निधि
4	14401–14500	सामान्य निधि
5	12201–12800 (6 रसीद बुकें)	गृहकर
6	12901–13000	गृहकर
7	13501–14000 (5 रसीद बुकें)	गृहकर
8	14001–14400 (4 रसीद बुकें)	गृहकर
9	701–800	हरियाली
10	001–100	हरियाली (लाभार्थी अंशदान)

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

21 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक की नमूना जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः–

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाणपत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

परन्तु ग्राम प्रचायत मैहरी काथला के अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों/प्रावधानों में से किसी की भी अनुपालना नहीं की जा रही है। इसके विपरीत खरीदी गई खाली रसीद बुकों का अभिलेखन भी अन्य भण्डार की तरह प्रचायत के सामान्य स्टॉक रजिस्टर में ही किया गया है जिसमें प्रयोग के लिए जारी सभी रसीद बुकों को भी दर्ज नहीं किया गया है और न ही इनका प्रमाणन नियमानुसार पंचायत प्रधान द्वारा किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अभिलेख में आवश्यक सुधार करके इसका अद्यतन किया जाए तथा भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

22 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बहुत सी प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त ₹ 1 करोड़ से अधिक की अनुदान राशियों विशेषतः आर• टी• जी• एस• बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 मनरेगा अभिलेख में पाई गई त्रुटियांः–

24.1 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः–** मस्ट्रौल रजिस्टर की नमूना जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान/सचिव से करवाया गया है।

2. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।

3. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का अभिलेखन नहीं किया जा रहा है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

24.2 मनरेगा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की वाउचर फाइलों का अनुचित तरीके से रखरखावः–

मनरेगा अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से सम्बन्धित व्यय हेतु वाउचर फाइलें सामान्य तरीके से क्रमवार/दिनांकवार/माहवार/वर्षवार लगाने के स्थान पर किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर कार्यविशेष के लिए अलग–अलग लगाई गई हैं। वाउचर फाइलों का इस प्रकार से रखा जाना न केवल प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध है वरन् अंकेक्षण के दौरान भी बहुत समस्याएं आईं तथा अत्याधिक समय की बर्बादी हुई। अतः इस बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जैसे कि पंचायत में अन्य निधियों की वाउचर फाइलें रखी गई हैं वही प्रक्रिया मनरेगा के सन्दर्भ में भी अपनाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 सोशल ऑडिट न करवाने बारेः–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय के पत्र संख्याः 11060/3/2009–नरेगा, दिनांक 01–09–2009 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पंचायत द्वारा मनरेगा निधि से निजी भूमी पर करवाए गए निर्माण/विकास कार्यों का पर्यवेक्षण ग्राम सभा द्वारा बनाई गई सोशल ऑडिट कमेटी द्वारा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत मैहरी काथला में सोशल

ऑडिट कमेटी के गठन से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा सम्बन्धी उपरोक्त दिशानिर्देशों की अवहेलना की गई है। पंचायत द्वारा करोड़ों रुपये के सैंकड़ों विकास कार्य मनरेगा के अन्तर्गत निजी भूमि पर करवाए गए हैं परन्तु सोशल ऑडिट कमेटी के अभाव में इन कार्यों तथा उन पर किया गया व्यय संदेह के दायरे में आ जाते हैं। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 अंकेक्षण से असहयोग तथा पंचायत के निर्माण कार्यों के अभिलेख का अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पंचायत अधिकारियों से अंकेक्षणावधि के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा, दिनांक 31–03–2016 को अधूरे निर्माण कार्यों का ब्यौरा तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह सूचनाएं अभिलेख सहित पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा तैयार व प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था परन्तु न तो यह सूचनाएं और न ही सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। पंचायत कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण से असहयोग एक अति गम्भीर मामला है जो कि उचित अनुशासनासत्मक कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि 04/2013 से 03/2016 तक का समस्त अभिलेख अब अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

27 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत मैहरी काथला में तकनीकी सहायक के असहयोग के कारण निर्माण कार्यों के बिलों की अंकेक्षण जांच नहीं की जा सकी है। तथापि सचिव के पास उपलब्ध अभिलेख/वाउचर फाइलों में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में इन कार्यों के निश्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

27.1 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27.2 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण

विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27.3 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27.4 निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिकाएं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अतः इन मापन पुस्तिकाओं का आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27.5 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

28 वेतन/मानदेय रजिस्टरों का निर्माण न करने बारेः–

पंचायत द्वारा प्रतिमाह इसके अधीन कार्य कर रही सिलाई अध्यापिका, जलरक्षकों तथा चौकीदार को मानदेय का भुगतान किया जाता है। परन्तु इस भुगतान के सन्दर्भ में चौकीदार के अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्ग के लिए किसी वेतन/मानदेय रजिस्टर का अभिलेखन नहीं किया गया है जिससे इसकी जांच की जा सके अथवा दोहरे भुगतान की संभावना को टाला जा सके। इस चूक के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार तथा पूर्ण किया जाए तथा भविष्य में इसमें लेखांकन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में त्रुटियांः–

29.1 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण न करनाः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मैहरी काथला द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रखरखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तीकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उससे सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविश्टियाँ नियमसनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

29.2 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	——	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 विविध अनियमितताएः—

31.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निश्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

31.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

31.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रतयेक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 **लघु आपति विवरणिका** :– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

33 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 14/2016–खण्ड–1–1722–1725 दिनाँकः 22.03.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत मैहरी काथला, विकास खण्ड घुमारवीं तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.